न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या ::-50/2022

1- अंजना पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ

वादीया

बनाम

1- कस्तुरीबाई पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई हा.मु. पति कन्हैयालाल धाकड़ निवासी ठुकरा तहसील बेगूँ
2- सुखलाल पिता स्व.गोकलजी धाकड़ निवासी घनश्यामपुरा तहसील बेगूँ
3- दुर्गालाल पिता स्व.भैरूलाल धाकड़ निवासी घनश्यामपुरा तहसील बेगूँ
4-घीसीबाई पुत्री प्याराजी धाकड़ निवासी नन्दवाई हा.मु.पति शंकरलाल धाकड़ निवासी पाडावास तहसील बेगूँ
5- जमनालाल पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
6- सुगनाबाई पिता कन्हैयालाल सुथार निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूँ
7- नन्दकिशोर पिता बरदाजी निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
8-नारायण पिता रूपाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
9- प्रकाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
10- कैलाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
11- कमलेश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
12- बालीबाई पत्नी स्व.बरदा धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
13-भेरूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
14- भंवरलाल पिता प्यारजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
15- मोहनलाल पिता हजारी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
16- शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
17- सुर्यराजसिंह पिता रणजीतसिंह राजपुत निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
18- हगामीबाई पति स्व.देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
19- श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नन्दवाई तहसील बेगूँ
20-श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
21- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::- श्री अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण
अनुपस्थित

निर्णय दिनांक ::-03.10.23

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि मौजा नन्दवाई प0ह0 नन्दवाइ तह0 बेगूँ में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 18 तक की संयुक्त खातेदारी मे निम्नलिखित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
खाता संख्या 270

आराजी संख्या	रकबा
78	0.4600
79	0.6400
80	0.4500
81	0.1500
82	0.0100
83	0.0500
84	0.0200
85	0.0600
86	0.1700

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:32 IST
Reason: SelfAttested

0.2100

0.2900

0.1200

[illegible]–13	कुल रकबा	3.2700 हैक्टर

खाता संख्या 269

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
206	0.0400
228	0.2200

किता–2	कुल रकबा	0.2600 हैक्टर

खाता संख्या 2701

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
1493/76	1.2900
1535/75	0.8100

किता–2	कुल रकबा	2.1000 हैक्टर

यह कि वादी के पिता स्व.देवीलाल जी की मृत्यु वादीया के बाल्यावस्था में ही हो गयी थी।वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात जो विरासत का नामांतरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि का भूलवश व त्रुटिवश राजस्व रेकार्ड में नामांतरण खोला गया उसमें वादीया का नाम घर पर बिना जानकारी लिये ही राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम बबली अंकित कर दिया है जबकि वादीया के समस्त सरकारी दस्तावेजों एवं शेक्षणिक दस्तावेजों में वादीया का नाम अंजना धाकड़ दर्ज रेकार्ड अंकित है।

यह कि पटवारी हलका द्वारा वक्त नामांतरण बिना संपूर्ण तथ्यों की जांच एवं जानकारी किये बिना ही वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में बबली अंकित कर दिया जबकि वादीया का नाम समस्त दस्तावेजों में अंजना धाकड़ अंकित है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.07.2022 को वादिया द्वारा अपने खाते की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती की जानकारी हुई जिससे दिनांक 15/07/2022 से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादिया के नाम को राजस्व रेकार्ड में अंजना धाकड पुत्री स्व.देवीलाल धाकड़ के रूप में दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु वादिया का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

कि मौजा नन्दवाई प0ह0 नन्दवाई तह0 बेगूँ की वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम बबली पिता स्व.देवीलाल धाकडा के बजाय अंजना धाकड़ के बजाय अंजना धाकड़ पिता स्वदेवीलाल धाकड़ अंकित कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादिया के पक्ष में प्रदान करायी जावें।

यह कि वादिया का नाम वाद वर्णित भूमि में नाबालिग की हैसियत से दर्ज रेकार्ड है जबकि वादिया वर्तमान में पूर्ण रूप से बालिग हो जाने से वादिया को [illegible] रेकार्ड में बालिग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।

कि वादिया का नाम वाद वर्णित भूमि में अंजना धाकड़ के बबली पिता स्व.देवीलाल धाकड़ दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

दावा वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया किन्तु प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 19 तक सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही कि गई प्रतिवादी सं0 20,21 प्रकरण मे फोरमल पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नहीं करने से प्रकरण मे जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण मे किसी भी प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई। प्रकरण में वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी हेतू साक्ष्य शपथ पत्र वादी गवाह अंजना उर्फ बबली, देवीलाल, नारायण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान कलम बद्ध कराये जाकर दस्तावेज प्रदर्श कराये जाने के उपरान्त वकील वादी ने एक तरफा बहस पेश कर आपनी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:32 IST
Reason: SelfAttested

0 270 आराजी संख्या 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90 कुल किता 13 कुल
00 है0 खाता संख्या 269 आराजी संख्या 206, 228 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 है0 खाता
01 आराजी संख्या 1493/76, 1535/75 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1000 है0 भूमि मे वादियाके
लाल जी की मृत्यु के पश्चात जो विरासत का नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश व
उसमें वादीया का नाम घर पर बालते नाम बबली अंकित कर दिया है जबकि वादिया के समस्त
वेजों एवं शेक्षणिक दस्तावेजों मे वादिया का नाम अंजना धाकड़ के बजाय अंजना धाकड़ पिता
लाल घाकड़ नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे।

वाद प्रकरण में वकील वादिया की एक तरफा बहस सूने जाने एवं दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1, 2 , 3 नकल जमाबंदी संवत् 2078–2078 की खाता संख्या 269, 271, 2701 में नाबालिग बबली पुत्री देवीलाल संरक्षक सरपरस्त माता हगामीबाई हिस्सा 1/60 धाकड़ दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–8 वी बोर्ड पेटर्न 2009 प्रदर्श–9 नकल बडोदा राज.बैंक शाखा नन्दवाई की धाया प्रति है। अंजना धाकड़ है प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–5 पेनकार्ड में अंजना धाकड़ पिता देवीलाल धाकड़ तथा प्रदर्श–8 में कक्षा 8 वी बोर्ड पेटर्न 2009 की अंकतालिका अंजना धाकड़ पिता देवीलाल धाकड़ माता हगामीबाई दर्ज अंकित है।तथा प्रकरण में स्वतंत्र गवाहो के बयानों मे भी वादिया अंजना उर्फ बबली के नाम से जाना जाता है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों से वादिया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादिया का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 का स्वीकार किया जाता है मौज नन्दवाई प0ह0 नन्दवाई की खाता सं0 270 आराजी संख्या 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90 कुल किता 13 कुल रकबा 3.2700 है0 खाता संख्या 269 आराजी संख्या 206, 228 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 है0 खाता संख्या 2701 आराजी संख्या 1493/76, 1535/75 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1000 है0 भूमि में नाबालिग बबली पुत्री देवीलाल संरक्षक सरपरस्त माता हगामीबाई के बजाय अंजना उर्फ बबली धाकड़ पिता देवीलाल धाकड़ बालिग राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा कि जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कलैश चन्द्र गुर्जर

वाद संख्या ::–50 / 2022

1– अंजना पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ

वादीया

बनाम

1– कस्तुरीबाई पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई हा.मु. पति कन्हैयालाल धाकड़ निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2– सुखलाल पिता स्व.गोकलजी धाकड़ निवासी घनश्यामपुरा तहसील बेगूँ
3– दुर्गालाल पिता स्व.भैरूलाल धाकड़ निवासी घनश्यामपुरा तहसील बेगूँ
4–घीसीबाई पुत्री प्याराजी धाकड़ निवासी नन्दवाई हा.मु.पति शंकरलाल धाकड़ निवासी पाडावास तहसील बेगूँ
5– जमनालाल पिता बरदाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
6– सुगनाबाई पिता कन्हैयालाल सुथार निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूँ
7– नन्दकिशोर पिता बरदाजी निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
8–नारायण पिता रूपाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
9– प्रकाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
10– कैलाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
11– कमलेश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ
12– बालीबाई पत्नी स्व.बरदा धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
13–भेरूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
14– भंवरलाल पिता प्यारजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
15– मोहनलाल पिता हजारी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
16– शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
17– सुर्यराजसिंह पिता रणजीतसिंह राजपुत निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
18– हगामीबाई पति स्व.देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
19– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नन्दवाई तहसील बेगूँ
20–श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
21– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 03.[illegible] को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के [illegible] अ[illegible] निर्णय के निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का [illegible]र किया जाता है दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण का अ.धा. 88 [illegible] का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा नन्दवाई प0ह0 नन्दवाइ तह0 बेगूँ में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 18 तक की संयुक्त खातेदारी मे निम्नलिखित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या 270

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
78	0.4600
79	0.6400

	0.1700
	0.2700
	0.2100
	0.2900
	0.1200

किता–13 कुल रकबा 3.2700 हैक्टर

खाता संख्या 269

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
206	0.0400
228	0.2200

किता–2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर

खाता संख्या 2701

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
1493/76	1.2900
1535/75	0.8100

किता–2 कुल रकबा 2.1000 हैक्टर

अतः वाद वादिया का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 का स्वीकार किया जाता है मौज नन्दवाई प0ह0 नन्दवाई की खाता सं0 270 आराजी संख्या 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90 कुल किता 13 कुल रकबा 3.2700 है0 खाता संख्या 269 आराजी संख्या 206, 228 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 है0 खाता संख्या 2701 आराजी संख्या 1493/76, 1535/75 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1000 है0 भूमि में नाबालिग बबली पुत्री देवीलाल संरक्षक सरपरस्त माता हगामीबाई के बजाय अंजना उर्फ बबली धाकड़ पिता देवीलाल धाकड़ बालिग राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा कि जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजी जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:32 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2023/ 451

दिनांक :– 20.10.23

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूं को वास्ते पालनार्थ भेजी जाती है।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,